तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
6-10-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अवकाश पर ~~राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे~~ तशरीफ रखते है। ~~अन्य कार्य मे व्यस्त~~ है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 23-11-22 को पेश हों।
23-11-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 4-1-23 को पेश हों।
4-1-23	पत्रावली पेश हुई इन्तजार पालना रिपोर्ट 10-1-23 को पेश हो।
10-1-23	पत्रावली पेश हुई इन्तजार पालना रिपोर्ट पत्रावली 18-1-23 को पेश हो। TPR ड-5976 पुनश्च: पटवारी हल्का ने उपस्थित होकर तहसीलदार इन्द्राज हस्ताक्षर के साथ प्रा० पत्र पेश कर अवगत कराया कि इजराय की पालना नामान्तरण संख्या 434 दिनांक 10-10-2022 से हो चुकी है। प्रा० पत्र शामिल पत्रावली किया गया। शेष कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

रीडर सा० पत्रावली पेश हो
[signature]
10.1.023

सेवा में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो०
उपखण्ड कार्यालय लाखेरी
बून्दी

विषय:- इजराय की पालना बाबत

प्रसंग:- श्रीमान के कार्यालय के दावा सं०:-18/दफा/2021 की पालना में
बउनवान रघुवीर बनाम चमेली बाई के सन्दर्भ में

महो०,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ~~अमल~~ निवेदन है कि प्रासंगिक आदेश की पालना में नामा० सं० 434 दिनांक 10/10/2022 ग्राम चड़ींचा में जमाबन्दी में अमल हो चुका है।

अतः पालना रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

[signature] 10/01/2022
प०ह० दहीखेड़ा

[signature]
10.1.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय लाखेरी

<u>उनवान</u>

रघुवीर बनाम चमेलीबाई

18/दावा/21

3-12-21	पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत मुख्यालय गुढ़ा पर पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। पेशकार सरकार उपस्थित जमाब जांच रिपोर्ट पेश मय नक्शा की गई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक पक्षकारान वादी को जाति मीणा नहीं होकर कुम्हार होना बताया गया रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सत्यापित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मिलान किया

पढ़ा — सुना
रामजस

नकल आवेदन प्रस्तुत होने की दिनांक 4-1-22

नकल तैयार होने का दिनांक 5-1-22

नकल देने की दिनांक ....

कॉपिंग फीस 1=00

-: निर्णय :- दिनांक: —03.12.2021

वादी द्वारा वादपत्र पेश कर कथन किया कि आराजी कृषि भूमि खाता नई संख्या 88 पुरानी 84 के खसरा नं0 1053 रकबा 0.18 हैक्ट0, ख0नं0 1055 रकबा 0.04 हैक्ट0, ख0नं0 845 रकबा 0.23 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.45 हैक्ट0 ग्राम चहींचा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति भरोष आ0 बदरी व गजानन्द आ0 बदरी, छोटी पत्नी बदरी,मोत्या पत्नी मांग्या के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में मांग्या आ0 गोविन्दा जाति कुम्हार की खातेदारी में दर्ज थी। मांग्या की मृत्यु से पूर्व ही मांग्या के एकमात्र वारिस पुत्र बदरी की मृत्यु हो गई थी। इस कारण मांग्या की मृत्यु पश्चात मांग्या की पत्नी मोत्या व मृतक पुत्र बदरी के वारिस गजानन्द, भरोष, व बदरी की पत्नी छोटीबाई के नाम फौती नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। बदरी के वारिस गजानन्द आजीवन अविवाहित रहे। गजानन्द व भरोष एवं छोटी पत्नी बदरी व मोत्या सभी फौत हो चुके है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 उपरोक्त मृतक खातेदारान के एकमात्र वारिसान है। जिनका आज दिनांक तक फौती इतंकाल नही खुलने से वादी व वादी के परिजनों को काफी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। वादी द्वारा कृषि भूमि की नकल जमाबन्दी ली गई तो पता चला कि जमाबन्दी में वादी की जाति कुम्हार के स्थान पर मीणा दर्ज है। राजस्व अधिकारीयों को फौती नामान्तकरण दर्ज करने एवं राजस्व रिकार्ड जाति मीणा के स्थान पर कुम्हार दर्ज करने बाबत कई बार का प्रार्थना पत्र दिये गये। किन्तु राजस्व अधिकारीयों द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। और अन्त में निवेदन किया गया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज सभी मृतक खातेदारान के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाकर जाति मीणा के स्थान पर कुम्हार दर्ज किंये जाने की डिक्री फरमाई जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में पत्रावली को चिन्हित किया जाकर ग्राम पंचायत मुख्यालय शिविर गुहाटा में रखा गया। दौराने शिविर मुख्यालय पर ही मजमें आम भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ से जांच करवाई गई। भूमिधारी की ओर से प्रस्तुत जांच रिर्पोट के मुताबिक वाद वर्णित आराजी गजानन्द ,भरोष पिसरान बदरी ,छोटी पत्नी बदरी हिस्सा 1/2, मोत्या पत्नी मांग्या, हिस्सा 1/2 खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड

सत्यापित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

मिलान किया

पढ़ा

सुना

दर्ज है एवं सभी की मृत्यु होना एवं मृतक मोत्या के वारिसान में पुत्र बदरी पुत्री रामकन्या व सीमा होना तथा मृतक गजानन्द का कुंवारा फौत होना बताया गया है। इसी प्रकार मृतक गजानन्द, भरोष पिता बदरी, छोटी पत्नी बदरी के वारिसान में 3 पुत्र घनश्याम,रघुवीर, महावीर पुत्रियां सुनिता, केलन्तावाई,सुमन, हेमन्ता कुमारी एवं पत्नी चमेलीबाई का होना बताया गया। उपरोक्त खातेदारान व उनके वारिसान की जाति मीणा नही होकर कुम्हार होना जाहिर किया है।

हमारे द्वारा भूमिधारी तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत जांच रिर्पोट एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भू-प्रबंध विभाग बदोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2041 एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2035 से 2038 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार मांग्या पुत्र गोमदा की जाति राजस्व रिकार्ड में कुम्हार दर्ज थी। खातेदार मांग्या वल्द गोविन्दा के फौत होने पर विरासत में दर्ज नामान्तकरण संख्या 116 दिनांक 01.02.1983 से वारिसान के रूप में मोत्या बेवा मांग्या, भरोष, गजानन्द पिसरान बदरी एवं छोटी बेवा बदरी हिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सहवन से जाति कुम्हार के स्थान पर मीना दर्ज कर दी गई। जो लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है।अतःवादी का वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेश दिया जाता है कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 खाता संख्या 88 वाके ग्राम चहींचा तहसील इन्द्रगढ के राजस्व रिकार्ड में खातेदारान की दर्ज जाति मीना शब्द को विलोपित कर उसके स्थान पर जाति कुम्हार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जावे। साथ ही रिकार्ड में दर्ज सभी खातेदारान की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसानों की जांच कर वारिसानों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.12.2021 को मजमे आम सुनाया गया।

सत्यापित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मिलान किया
पढ़ा सुना
रामजरा